भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 734
दिनांक 7 फरवरी, 2025 को उत्तर के लिए

घरेलू हिंसा

734. श्री संजय हरिभाऊ जाधव:
श्री दरोगा प्रसाद सरोज:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के लागू होने के बावजूद, देश में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा एक आम अपराध बनी हुई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार का घरेलू हिंसा की पीड़ित महिलाओं को प्रभावी कानूनी सहायता देने और आश्रय गृह प्रदान करने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उक्त अधिनियम के तहत पंजीकृत मामलों की पंजीकृत मामलों की राज्य-वार संख्या कितनी है;
(घ) क्या सरकार ने उक्त मामलों की समीक्षा या जांच की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ड.) अभी तक उक्त अधिनियम के तहत हिंसा के पीड़ितों की सुरक्षा के लिए बनाए गए आश्रयों के साथ-साथ नामित सुरक्षा अधिकारी कौन-कौन से हैं; और
(च) क्या सरकार ने वर्ष 2019 से केंद्रीय पीड़ित क्षतिपूर्ति निधि योजना के तहत घरेलू हिंसा के पीड़ितों को कोई क्षतिपूर्ति निधि प्रदान की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ड.): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपने प्रकाशन "भारत में अपराध" में महिलाओं के विरुद्ध अपराध सहित अन्य अपराधों पर आंकड़ा संकलित और प्रकाशित करता है। ये आंकड़े एनसीआरबी की वेबसाइट https://ncrb.gov.in पर

उपलब्ध है। उक्त रिपोर्ट वर्ष 2022 तक उपलब्ध है। एनसीआरबी के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पिछले तीन वर्षों यानी 2020, 2021 और 2022 के दौरान 'घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005' (पीडब्ल्यूडीवीए) के तहत दर्ज मामलों की संख्या क्रमशः 446, 507 और 468 है। वर्ष 2020, 2021 और 2022 के दौरान पीडब्ल्यूडीवी अधिनियम, 2005 के तहत दर्ज मामलों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक-I** पर है।

'पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था' भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य के विषय हैं। कानून और व्यवस्था बनाए रखने, नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सहित घरेलू हिंसा के मामलों सहित महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध की जांच और अभियोजन की जिम्मेदारी मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों की है और वे इससे निपटने में सक्षम हैं।

पीडब्ल्यूडीवीए का कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में आता है। पीडब्ल्यूडीवीए की धारा-8 राज्य सरकार को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले में उतनी संख्या में संरक्षण अधिकारी नियुक्त करने का अधिकार देती है, जितनी वह आवश्यक समझे और साथ ही वह क्षेत्र अधिसूचित करने का भी अधिकार देती है, जिसमें ऐसा संरक्षण अधिकारी प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा उक्त कानून के तहत निर्धारित कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। संरक्षण अधिकारी का कर्तव्य है कि वह शिकायत प्राप्त होने पर मजिस्ट्रेट को घरेलू हिंसा के मामलों की रिपोर्ट करे और उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता करे। हालांकि, किसी व्यक्ति की दोषसिद्धि न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आती है, जो पीडब्ल्यूडीवीए के प्रावधानों के अनुसार तथ्यात्मक स्थितियों और सभी संबंधित पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद मामले का फैसला करती है। पीडब्ल्यूडीवीए इसके विरुद्ध संरक्षण आदेश, निवास आदेश, मौद्रिक राहत, हिरासत आदेश और मुआवजा आदेश जैसे उपचार प्रदान करता है। इसके अलावा, पीडब्ल्यूडीवीए की धारा-9 के अनुसार, संरक्षण अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि पीड़ित महिलाओं को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के प्रावधानों के अनुसार मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जाए।

केंद्र सरकार महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और इस संबंध में विभिन्न विधायी और योजनाबद्ध कार्यकलाप किए हैं। इनमें "दंड कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018" (संशोधित प्रावधान अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत शामिल हैं), 'घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2006', 'दहेज निषेध अधिनियम, 1961' इत्यादि जैसे कानून शामिल हैं। सरकार द्वारा कार्यान्वित की गई योजनाओं/परियोजनाओं में वन स्टॉप सेंटर (ओएससी); महिला हेल्पलाइनों का सार्वभौमिकरण (डब्ल्यूएचएल), आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) जो आपात स्थितियों के लिए एक अखिल भारतीय एकल नंबर (112)/मोबाइल ऐप

आधारित प्रणाली है; जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से समुदाय में क्षमता निर्माण, पुलिस स्टेशनों पर महिला हेल्प डेस्क (डब्ल्यूएचडी) की स्थापना/सुदृढीकरण इत्यादि शामिल हैं।

इसके अलावा, यह मंत्रालय महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तीकरण के लिए व्यापक योजना "मिशन शक्ति" के तहत 'वन स्टॉप सेंटर (ओएससी)' के घटकों का कार्यान्वयन करता है जिसके तहत चिकित्सा सहायता, मनोवैज्ञानिक-सामाजिक परामर्श, पुलिस सुविधा, कानूनी सहायता और परामर्श और 5 दिनों तक के लिए अस्थायी आश्रय जैसी एकीकृत सेवाएं एक ही स्थान पर प्रदान की जाती हैं। यदि आवश्यक हो, तो जरूरतमंद महिलाओं को कुछ और समय के लिए ओएससी में ठहराया जा सकता है या मिशन शक्ति के एक अन्य घटक "शक्ति सदन" में आश्रय प्रदान किया जा सकता है। आज की तारीख में, देश भर में 802 ओएससी काम कर रहे हैं। इसके अलावा, कठिन परिस्थितियों की शिकार महिलाओं की सहायता के लिए देश भर में 404 शक्ति सदन काम कर रहे हैं। शक्ति सदनों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या **अनुलग्नक-II** में दी गई है।

निर्भया कोष के तहत, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) ने भी कई पहल की हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जांच अधिकारियों, अभियोजन अधिकारियों और चिकित्सा अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम शामिल हैं। बीपीआरएंडडी ने चार महत्वपूर्ण घटकों, यानी बुनियादी ढांचे, प्रशिक्षण, मानव संसाधन विकास और प्रतिक्रिया तंत्र पर ध्यान केंद्रित करके महिला हेल्प डेस्क के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए "पुलिस स्टेशनों पर महिला हेल्प डेस्क" के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी तैयार की है। यौन उत्पीड़न के अपराध के विशेष संदर्भ में जांच, पीड़ित को मुआवजा और पुनर्वास महिलाओं के विरुद्ध अपराध की रोकथाम तथा जांच के उद्देश्य से "महिला सुरक्षा और सुरक्षा-पुलिस में प्रथम प्रतिक्रियाकर्ताओं और जांचकर्ताओं के लिए एक पुस्तिका" नामक एक पुस्तक भी तैयार की गई है। इसमें महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध की रोकथाम और पता लगाने तथा अपराध के पीड़ितों के साथ बातचीत के दौरान पुलिस के उचित व्यवहार और मनोवृत्ति कौशल पर जोर दिया गया है। बीपीआरएंडडी द्वारा संवेदनशीलता के साथ महिला सुरक्षा, पुलिस कर्मियों का लैंगिक संवेदीकरण इत्यादि पर वेबिनार भी आयोजित किए गए।

हिंसा से प्रभावित और संकटग्रस्त महिलाओं को मनोवैज्ञानिक-सामाजिक परामर्श की आवश्यकता को समझते हुए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने ऐसी महिलाओं की सहायता के लिए मनोवैज्ञानिक-सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए देश भर में वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) के कर्मचारियों को "स्त्री मनोरक्षा" नामक परियोजना के तहत बुनियादी और उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निमहंस) की सेवाएं ली हैं। यह

मंत्रालय समय-समय पर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए जागरूकता अभियान चलाता है।

इसके अलावा, सरकार राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) जैसी संस्थाओं और राज्यों में उनके समकक्षों के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा तथा कानून के विभिन्न प्रावधानों के बारे में लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए सेमिनारों, कार्यशालाओं, श्रव्य-दृश्य(ओडियो -विजुअल), प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इत्यादि के माध्यम से जागरूकता फैला रही है। इसके अतिरिक्त, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्श जारी किए हैं।

(च) : पीड़ित मुआवज़ा की प्रक्रिया दो तरीकों से शुरू की जाती है। सबसे पहले, ट्रायल कोर्ट को राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के तहत दिए जाने वाले मुआवज़े की मात्रा तय करने के लिए जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) या राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (एसएलएसए) को सिफारिश करने का अधिकार है। ट्रायल कोर्ट इस बात पर भी सिफारिश कर सकता है कि बीएनएसएस की धारा 395 (पहले सीआरपीसी की धारा 357) के तहत दिया गया मुआवज़ा पुनर्वास के लिए पर्याप्त नहीं है। दूसरे, ऐसे मामलों में जहां अपराधी का पता नहीं लगाया जा सका है और न ही उसकी पहचान की जा सकी है, लेकिन पीड़ित की पहचान हो गई है, पीड़ित और उनके आश्रित मुआवज़े के लिए डीएलएसए या एसएलएसए को आवेदन कर सकते हैं। ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर, डीएलएसए या एसएलएसए को जांच करनी होती है और उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए पर्याप्त मुआवज़ा देना होता है।

इसके अलावा, रिट याचिका (सी) संख्या 565/2012 (निपुण सक्सेना बनाम भारत संघ और अन्य) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) ने यौन उत्पीड़न/अन्य अपराधों की महिला पीड़ितों/उत्तरजीवियों के लिए मुआवजा योजना तैयार की है। इसे सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रसारित किया गया था। कई राज्य सरकारों ने एनएएलएसए की योजना के अनुसार अपनी मौजूदा पीड़ित मुआवजा योजनाओं को संशोधित किया है। इस योजना में महिला पीड़ित मुआवजा कोष का प्रावधान है जो राज्य पीड़ित मुआवजा कोष और केंद्रीय कोष में से महिला पीड़ितों के लिए संवितरण के लिए एक अलग कोष है। केंद्रीय कोष का अर्थ केंद्रीय पीड़ित मुआवजा कोष (सीवीसीएफ) योजना, 2015 से प्राप्त अंशदान है। केन्द्र सरकार ने केंद्रीय पीड़ित मुआवजा कोष (सीवीसीएफ) के अंतर्गत राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को उनके संबंधित पीड़ित मुआवजा कोष में सहायता करने के उद्देश्य से"निर्भया कोष" में से एक मुश्त 200 करोड़ अनुदान सहायता के रूप में रुपये प्रदान किए हैं।

******

अनुलग्नक-I

'घरेलू हिंसा' के संबंध में श्री संजय हरिभाऊ जाधव और श्री दरोगा प्रसाद सरोज द्वारा दिनांक 07.02.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या +734 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

वर्ष 2020, 2021 और 2022 के दौरान पीडब्ल्यूडीवी अधिनियम, 2005 के तहत पंजीकृत मामलों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020	2021	2022
		घटनाओं/मामलों की संख्या	घटनाओं/मामलों की संख्या	घटनाओं/मामलों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	0	1	0
2	अरुणाचल प्रदेश	0	1	1
3	असम	0	1	0
4	बिहार	23	0	0
5	छत्तीसगढ़	0	1	0
6	गोवा	0	0	0
7	गुजरात	0	0	1
8	हरियाणा	0	3	1
9	हिमाचल प्रदेश	2	1	2
10	झारखंड	66	82	67
11	कर्नाटक	0	0	0
12	केरल	165	270	371
13	मध्य प्रदेश	180	131	10
14	महाराष्ट्र	3	5	1
15	मणिपुर	1	2	0
16	मेघालय	0	0	0
17	मिजोरम	0	1	0
18	नागालैंड	0	0	0
19	ओडिशा	0	0	0
20	पंजाब	0	0	0
21	राजस्थान	0	1	3
22	सिक्किम	0	0	0
23	तमिलनाडु	0	1	5
24	तेलंगाना	0	0	0

25	त्रिपुरा	0	0	0
26	उत्तर प्रदेश	0	1	3
27	उत्तराखंड	0	0	0
28	पश्चिम बंगाल	1	0	0
	कुल राज्य(यों)	**441**	**502**	**465**
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0
30	चंडीगढ़	0	0	0
31	डीएंडएन हवेली और दमन और दीव	0	0	0
32	दिल्ली	2	4	3
33	जम्मू और कश्मीर	3	1	0
34	लद्दाख	0	0	0
35	लक्षद्वीप	0	0	0
36	पुडुचेरी	0	0	0
	कुल यूटी (एस)	**5**	**5**	**3**
	कुल (संपूर्ण भारत)	**446**	**507**	**468**

स्रोत: भारत में अपराध

अनुलग्नक- II

'घरेलू हिंसा' के संबंध में श्री संजय हरिभाऊ जाधव और श्री दरोगा प्रसाद सरोज द्वारा दिनांक 07.02.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या +734 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

कठिन परिस्थितियों में पीड़ित महिलाओं की सहायता के लिए देश भर में कार्यशील शक्ति सदनों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या:-

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कार्यशील शक्ति सदनों की संख्या
1.	अंडमान और निकोबार	0
2.	आंध्र प्रदेश	28
3.	अरुणाचल प्रदेश	1
4.	असम	28
5.	बिहार	0
6.	चंडीगढ़	1
7.	छत्तीसगढ़	3
8.	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0
9.	दिल्ली	2
10.	गोवा	1
11.	गुजरात	0
12.	हरियाणा	0
13.	हिमाचल प्रदेश	1
14.	जम्मू एवं कश्मीर	2
15.	झारखंड	0
16.	कर्नाटक	63
17.	केरल	8
18.	लद्दाख	0
19.	लक्षद्वीप द्वीप समूह	0
20.	मध्य प्रदेश	14
21.	महाराष्ट्र	19
22.	मणिपुर	40

23.	मेघालय	2
24.	मिजोरम	12
25.	नागालैंड	3
26.	ओडिशा	68
27.	पुद्दुचेरी	1
28.	पंजाब	2
29.	राजस्थान	8
30.	सिक्किम	1
31.	तमिलनाडु	36
32.	तेलंगाना	20
33.	त्रिपुरा	3
34.	उत्तराखंड	0
35.	उत्तर प्रदेश	0
36.	पश्चिम बंगाल	37
	कुल	**404**

*****